न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर 225/2007 — तारीख रजू 7.11.2007 — तारीख निर्णय 12.8.2025

1. राजाराम पुत्र कज्जू, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. चैनी पत्नि कज्जू, मीना नि0 डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी —वादीगण

बनाम

1. मिश्री पत्नि रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. पप्पू उर्फ धर्मपाल पुत्र रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी
3. हजारी पुत्र गुलाब, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
4. कैलाशी पत्नि धर्मपाल, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर आद्योगिक क्षेत्र गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :— श्री जुगलकिशोर गर्ग, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री बृजनन्दन दीक्षित, एड. प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 की ओर से
श्री आलोक गोयल, एडवोकेट, प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया है कि भूमि ख0नं0 354 रकबा 8 एयर, ख0नं0 355 रकबा 9 एयर, ख0नं0 356 रकबा 9 एयर, ख0नं0 357 रकबा 8 एयर, ख0नं0 358 रकबा 14 एयर, ख0नं0 359 रकबा 26 एयर, ख0नं0 360 रकबा 11 एयर, ख0नं0 471 रकबा 26 एयर, ख0नं0 472 रकबा 26 एयर, ख0नं0 473 रकबा 26 एयर, ख0नं0 474 रकबा 27 एयर, ख0नं0 649 रकबा 33 एयर, ख0नं0 655 रकबा 9 एयर, ख0नं0 730 रकबा 23 एयर, ख0नं0 1496 रकबा 18 एयर, ख0नं0 1499 रकबा 27 एयर, ख0नं0 1500 रकबा 33 एयर, ख0नं0 1501 रकबा 23 एयर, ख0नं0 1502 रकबा 42 एयर, ख0नं0 1504 रकबा 25 एयर, ख0नं0 1515 रकबा 16 एयर कुल किता 21 कुल रकबा 4.39 है0 ग्राम डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। इसमें 1/4 हिस्से के वादीगण 1/4 हिस्से के प्रतिवादी सं0 1, 2, 1/4 हिस्से का प्रतिवादी सं0 3 व 1/4 हिस्से का प्रतिवादी नं0 4 खातेदार टीनेन्ट है और इसी प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात पर संयुक्त रूप से कब्जा चला आ रहा है। ख0नं0 1498 रकबा 21 एयर, ख0नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

1700 रकबा 30 एयर कुल किता 2 कुल रकबा 51 एयर ग्राम डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है जिसका इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के हक में चला आ रहा है। उक्त भूमि पहले सिवायचक भूमि थी जिसको वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने संयुक्त रूप से संयुक्त खर्चा करके वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 ने संयुक्त उपयोग उपभोग के लिए प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम से आवंटित करा ली। वक्त आवंटन यह तय हुआ कि उक्त भूमि व मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 4 की संयुक्त कब्जे की रहेगी व उसमें 1/4 हिस्सा वादीगण का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 का, 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 का व 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 का रहेगा और इसी प्रकार उक्त समस्त आराजियात को पक्षकारान संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादी संख्या 2 जो कि रामचरण का पुत्र है का ही नाम पप्पू पुत्र रामचरण एवं धर्मपाल पुत्र राजपाल है। इस कारण से ही आवंटन के समय प्रतिवादी संख्या 2 का नाम पप्पू दर्ज करवाया था तथा भूमि वर्णित मद नम्बर 1 `कमें प्रतिवादी संख्या 2 का नाम घर्मपाल पुत्र रामचरण दर्ज है जो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इस प्रकार उक्त वर्णित आराजियात मद नं0 1 व 2 में वादीगण 1/4 हिस्से के कोटीनेन्ट हैं तथा भूमि को पक्षकारान संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे हैं। पक्षकारों ने सरस व नरस के अनुसार भूमि का बंटवारा कर रखा है और इसके अनुसार ख0नं0 1498 व 1700 वादीगण व हजारी के हिस्से में एवं शेष रकबा आराजी मद नम्बर 1 में से आई है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की नियत खराब है और वे भूमि ख0नं0 1498 व 1700 को स्वयं के नाम इन्द्राज के आधार पर दीगर व्यक्तियों को रहन, वय करने को तथा वादीगण को बेदखल करने को उतारू हो रहे हैं। जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादी संख्या 2 ने पप्पू के नाम से ही भूमि मद नम्बर 1 में से क्रय भूमि दीगर व्यक्ति को विक्रय कर दी । अभी तक आराजी का विभाजन नहीं हुआ है और बिना विभाजन भूमि प्रतिवादीगण को उक्त आराजियात को रहन, बय, मुन्तकिल करने का कोई अधिकार नहीं है। आराजी ख0नं0 1498 व 1700 में वादीगण ने अपने हिस्से में आई 1/4 हिस्से की भूमि में जोत लगाकर काश्त के लिए तैयार कर ली है, प्रतिवादीगण दिनांक 4.11.2007 को मौके पर आ गए और कहने लगे कि हम भूमि को दीगर लोगों को विक्रय करेंगे, तुम्हें काश्त नहीं करने देंगे। ख0नं0 1498 व 1077 पर वादीगण का कब्जा लगातार 12 वर्ष से वहैसियत खातेदार टीनेन्ट चला आ रहा है और इस प्रकार उक्त भूमि पर वादीगण का एडवर्स

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:45:54 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

पजेशन भी है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर भूमि ख0नं0 1498 रकबा 27 एयर, ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर कुल रकबा 87 एयर ग्राम डिवस्या की आराजी में वादीगण को 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे और इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में 1/4 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। वादपत्र के मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमि का विभाजन किया जाकर 1/4 हिस्से की भूमि सभी के नाम अलग खाता कायम किया जावे तथा मुताबिक बंटवारा लैण्ड रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में अलग से बटा नम्बर डालकर दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी नम्बर 1, 2 व 5 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे मद नम्बर 1 व 2 में वर्णित भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करे तथा वादीगण को उनके हिस्से की भूमि के उपयोग उपभोग कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मजाहमत पैदा नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 5 बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 4 ने अपने जबाब मे अंकित किया है कि वाद के मद नम्बर 1 में दर्ज भूमि के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है। ख0नं0 1498 रकबा 21 एयर, ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर कुल किता 2 कुल रकबा 51 एयर ग्राम डिवस्या का इन्द्राज खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हक में है। वादीगण का इस भूमि से कोई वास्ता नहीं है। यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी, कब्जे काश्त की आवंटित भूमि है। इसके रहन वय हेतु प्रतिवादीगण पूर्ण सक्षम हैं। इस भूमि पर वादीगण का कोई कब्जा भी नहीं है। जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि भूमि हाल ख0नं0 1498 व 1700 के साबिक ख0नं0 715/1 मिन व 876/1 मिल रहे हैं जो मिन जबाबदार प्रतिवादी सं0 1 के पति तथा प्रतिवादी सं0 2 के पिता रामचरण पुत्र गुलाब हो जरिए नामांकन सं0 332 दिनांक 26.5.76 ख0नं0 876/1 रकबा 11 बीघा 10 विस्वा में से 2 बीघा तथा ख0नं0 715/1 रकबा 3 बीघा 5 विस्वा में से 1 बीघा भूमि आवंटित हुई। रामचरण की मृत्यु हो जाने पर जरिए नामांकन सं0 405 दिनांक 21.1.83 [illegible] मि प्रतिवादी सं0 1 मिश्री व प्रतिवादी सं0 2 पप्पू के नाम दर्ज हुई। [illegible] से ही मिन जबाबदार का उक्त भूमि पर अवाध एवं शांतिपूर्वक [illegible] चला आ रहा है जिससे किसी दीगर व्यक्ति का कोई वास्ता नहीं है। दावे में प्रतिवादी सं0 3 हजारी पुत्र गुलाब अब से करीब 20 वर्ष पूर्व ही ग्राम छोडकर अन्यत्र चला गया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:54 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज0)
सत्यमेव जयते

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

जिसका संयुक्त खातेदार के रूप में अंकन का वादीगण अवैध व अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। प्रतिवादीगण की भूमि को हडपने के लिए वादीगण ने यह वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 6 ने अपने जबाब में अंकित किया है कि वादीगण द्वारा अपना 1/4 हिस्सा बताते हुए बैंक के रहन रखा गया है, बैंक ऋण चुकाए बिना वादीगण किसी भी तरह का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाबदावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई।

1. आया वादपत्र के मद नं0 1 में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें वादीगण का 1/4 हिस्सा है। ——वादीगण

2. आया भूमि ख0नं0 1498 रकबा 21 एयर, ख0नं0 1700 रकबा 30 एयर ग्राम डिवस्या प्रतिवादी नं0 1, 2 की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है परन्तु यह भूमि सिवायचक रही है जिसका आवंटन वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 3, 4 ने मिलकर संयुक्त परिवार की दृष्टि से प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम करवाया एवं इसमें भी वादीगण का 1/4 हिस्सा है तथा इसी अनुसार वादीगण भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। ——वादीगण

3. आया वादीगण भूमि ख0नं0 1498 व 1700 में कब्जे अनुसार 1/4 हिस्से की खातेदारी घोषणां अपने नाम करवाने, इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती करवाने, भूमि का विभाजन करवाने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

4. आया भूमि ख0नं0 1498 व 1700 का साबिक ख0नं0 715/1 मिन व 876/1 रहा है जो सिवायचक भूमि थी एवं इनमें से 3 बीघा भूमि रामचरण पुत्र गुलाब को आवंटित हुई थी जो रामचरण की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नं0 1, 2, 4 के नाम चली आ रही है । वादीगण ने भूमि हडपने के लिए यह दावा प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं ——प्रतिवादी नं0 1, 2, 4

5. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी संवत 2062 से 2065 प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 प्रस्तुत की है एवं बयान वादी राजाराम पी0डब्लू0 1 कराए हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:54 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज0)

प्रतिवादी संख्या 1, 2, 4 ने अपने जबाब के समर्थन मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है एवं बयान प्रतिवादी पप्पू उर्फ धर्मपाल पुत्र रामचरण डी0डब्लू0 1 कराए हैं।

बहस विद्धान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण को विद्धान अभिभाषक ने अपने जबाब के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि ख0न0 1498 एवं 1700 को जो कि प्रतिवादी 1 व 2 की खातेदारी मे दर्ज है को संयुक्त रूप से पप्पू के नाम आवंटन करवाने की बात कहकर इन दोनों नम्बरों मे खातेदारी घोषणा चाहते है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख के अनुसार वादीगण ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह प्रमाणित होता हो कि यह भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 व प्रतिवादी संख्या 3 के नाम आवंटित करवायी गई हो वर्तमान मे इस भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी दर्ज है। इस भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध मे भी वादीगण ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। ऐसी स्थिति मे वादीगण वादग्रस्त भूमि ख0न0 1498 व 1700 मे खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नही है एवं वादीगण का दावा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी किया जावें।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (राज.) सत्यमेव जयते

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला कलक्टर गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:54 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख
... जो इस

Judi/Civil
Part IV-10

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

1. राजाराम पुत्र कज्जू, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. चैनी पत्नि कज्जू, मीना नि0 डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

1. मिश्री पत्नि रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
2. पप्पू उर्फ धर्मपाल पुत्र रामचरण, मीना निवासी डिवस्या तह0 गंगापुर सिटी
3. हजारी पुत्र गुलाब, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
4. कैलाशी पत्नि धर्मपाल, मीना निवासी डिवस्या तहसील गंगापुर सिटी
5. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी
6. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर आद्योगिक क्षेत्र गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. –35/2005

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री जुगल किशोर गर्ग, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री बृजनंदन दीक्षित एवं आलोक गोयल, एडवोकेट मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12.8.2025 को जारी किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सत्यमेव जयते
गंगापुर सिटी (राज०)

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:54 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्चा		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:15:54 IST
Reason: SelfAttested